

III/નિર્મા/માત્રણ/2017/12911

33

30

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मो ५० ग्रवालियर



۱۳۹ -

श्रीमती लक्ष्मि मिश्रा पुत्री ४३० श्री वैजनाथ तिवारी पत्नी श्री रामखेळावन  
मिश्रा निवासी ग्राम कुशियरा तहसील रुद्राजनगर जिला सतना, म० ५०  
ज-रूपे पुक्त्यार आम रामखेलावन मिश्रा तनय श्री रामेश्वर प्रसाद मिश्रा

।- कमला प्रसाद शुक्ला तनय श्री रामाधार शुक्ला निवासी ग्राम  
कुशियरा तखील राज्याभ्यंगर जिला सतना, य० प्र०

२- वैरुष्णोत्तम सिंह तनय श्री शिवनारायण सिंह ॥ पूर्ण ॥

॥३॥ विश्वम् बहादुर सिंह । दोनों के पिता स्व० श्री पुरुषोत्तम सिंह  
 ॥४॥ सन्तोष कुमार सिंह ।  
 ॥५॥ पार्वती सिंह पुत्री स्व० श्री पुरुषोत्तम सिंह ।

१८० रामद्वारी सिंह देवा स्व० श्री पुरुषोत्तम सिंह (कौल)  
सभी निवासी ग्राम मेदनीपुर, तह रामद्वारा जनगर, जिला

सतना, म० पृ० - - - - - - - - - - - - - - - - - ऐर निगरानी

ਮਿਗਰਾਨੀ ਅੰਤਰੰਗ ਧਾਰਾ 50 ਮੋ ਪ੍ਰੋ ਸੂਝ  
 ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੰਹਿਤਾ 1959 ਕਿਲੋ ਅਪੈਂਸ ਜਾਇਬ  
 ਤਾਫਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਮਾਰੀ ਛੁਟਤ ਟਾਟੀ ਤਾਫਸੀਲ  
 ਰਾਵਰਾਜ਼ਨਗਰ ਜਿਲਾ ਸਤਨਾ, ਮੋ ਪ੍ਰੋ ਵਿਲੋਕ  
9-10-2017 ਚਾਰਿਥ ਪੁੱਕਰਾ ਪ੍ਰਮੌਕ 36. 6/  
2015-16

मान्यवर,

**प्राधीनिकरण का नियमित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-**

## निगरानी के संदिग्ध तथ्य

१- यह कि निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ऐसे

लेखा: पैज 2 पर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

93

क्रमांक III/निम0/2017/3911

जिला-सतना

श्रीमती कुसुम मिश्रा/ कमला प्रसाद शुक्ला

(1)	(2)	(3)
०५।६।१९	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, वृत्त हाटी, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 36/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(महेश्वरनंद चौधरी), सदस्य</p>	